न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 12/2018

बउनवान

श्री जॉगिड ब्राहमण विकास समिति, बारां जरिये अध्यक्ष धनराज शर्मा आयु 58 साल पुत्र श्री बंजरगलाल जाति– जांगिड ब्राहमण निवासी–मदनजी की बाडी, शिवाजी कॉलोनी, बारां तहसील–बारां, जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी तस्दीकी इन्तकाल नं0 743 दिनांक 19.02.2018 वाके ग्राम दुर्जनपुरा तहसील–बारां अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन, अभिभाषक **(अपीलांट)**

निर्णय दिनांक– 22.05.2019

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके माल दुर्जनपुरा तहसील–बारां में खाता संख्या 41 पुराना 53 में वर्णित खसरा नम्बर 328/610 रकबा 0.29 है0 में से 0.02 है0 दक्षिण पूर्वी व ख0नं0 339 रकबा 0.12 है में से 0.04 है0 दक्षिणी व ख0नं0 340 रकबा 0.21 है0 में से 0.07 है0 मध्य कुल रकबा 0.13 है0 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.01.2018 को उक्त आराजियात् के खातेदार श्रीमती कौशल्याबाई पत्नी चतुर्भज धाकड निवासी–गोरधनपुरा तहसील–छीपाबडौद हाल निवासी गाडिया कॉलोनी, बारां से अपीलांट ने कीमतन खरीद किया था। इसके बाद अपीलांट ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 19.01.2018 की पालना में इन्तकाल खुलवाने हेतु रेस्पों0 के यहॉ आवेदन किया जिसपर रेस्पो0 द्वारा विक्रय पत्र की जॉच कर इन्तकाल नं0 743 दिनांक 19.02.2018 को तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड मे अपीलांट का नाम दर्ज किया गया है।

2– यह कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में लिपिकीय त्रुटिवश खरीद की गयी आराजी खसरा नम्बर 328/610 रकबा 0.29 है0 में से 0.02 हे0 दक्षिण पूर्वी व खसरा नम्बर 339 रकबा 0.12 है0 में से 0.04 है0 दक्षिणी व खसरा नम्बर 340 रकबा 0.21 है0 में से 0.07 है0 मध्य कुल रकबा 0.13 है0 में दिशाये गलत अंकित हो गयी। जबकि अपीलांट द्वारा खातेदार से आराजी ख0नं0 328/610 रकबा 0.29 है0 मे से 0.02 है0 पश्चिमी दक्षिणी व ख0नं0 339 रकबा 0.12 है0 मे से 0.04 है0 पश्चिमी, खसरा नं0 340 रकबा 0.21 है0 मे से 0.07 है0 मध्य कुल रकबा 0.13 है0 खरीद की [illegible] की जानकारी अपीलांट को होने पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.01.2018 [illegible] दर्ज गलत दिशाओ को शुद्धिपत्र दिनांक 08.03.2018 को उपपंजीयक,बारां से कर[illegible] गया है। इसलिये विक्रय पत्र दिनांक 19.01.2018 में खोला गया इन्तकाल [illegible] किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, इन्तकाल नं0 743 दिनांक 19.02.2018 को निरस्त किया जाकर रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.03.2018 की पालना मे सहीं दिशाये अंकित कर, आराजी ख0नं. 328/610 रकबा 0.29 है0 में से 0.02 है0 पश्चिम–दक्षिण व ख0नं0 339 रकबा 0.12 है0 में से 0.04 है0 पश्चिमी व खसरा नं0 340 रकबा 0.21 है0 में से 0.07 है0 कुल रकबा 0.13 है0 मध्य आराजी अपीलांट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

3– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में पक्षकारान् के उपस्थित होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट ने खातेदारा कौशल्याबाई से उसके खाते दर्ज आराजी ग्राम दुर्जनपुरा में से आराजी ख0नं0 328/618 रकबा 0.29 है0 में से 0.02 है0 पश्चिमी दक्षिण व ख0नं0 339 रकबा 0.12 है0 में से 0.04 है पश्चिमी व ख0नं0 340 रकबा 0.21 है0 मे से 0.07 है मध्य कुल 0.13 है0 रजिस्टर्ड विक्रय क्रय की थी। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 19.01.2018 को लिखा गया है। उक्त विक्रय विलेख में सहवन से लिपिकीय त्रुटि से दिशायें गलत अंकित होने से, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा विक्रय विलेख के आधार पर इन्तकाल तस्दीक करते समय गलत दिशायें अंकित हो गयी है। उक्त विक्रय विलेख में दिशाओं का गलत अंकन होने से अपीलांट ने जानकारी होने पर शुद्धिपत्र रजिस्टर्ड पंजीयन दिनांक 08.03.2019 को करा लिया है। उक्त शुद्धिपत्र के आधार पर अपीलांट के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक किया जाना न्यायसंगत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 743 दिनांक 19.02.2018 को निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट के पक्ष में शुद्धिपत्र दिनांक 08.03.2018 के अनुसार सहीं दिशायें अंकित कर, इन्तकाल तस्दीक किया जावे।

5– हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि प्रश्नगत आराजी का विक्रय विलेख के आधार पर इन्तकाल नं0 743 तस्दीक हुआ है, जिसके दिशाये गलत अंकित हुई है, जिसका रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र दिनांक 08.03.2018 को तस्दीक हुआ है, के आधार पर सहीं इन्तकाल दर्ज किया जावे। अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 743 दिनांक 19.02. 2018 वाके ग्राम दुर्जनपुरा को निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को पुनः सुनवाई कर, उसके पक्ष में विक्रय विलेख दिनांक 19.01.2018 जिसका रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र दिनांक 08.03. 2018 को पंजीयन हुआ है, उक्त शुद्धिपत्र के आधार पर अपीलांट के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

([illegible] सिंह राव)
[illegible]क्टर,बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official